न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 03 / 2020

अपीलांट

1. श्री ओबाराम पुत्र मानाजी, जाति कलबी, निवासी– मारोल, तहसील रेवदर जिला सिरोही
2. श्री वणाराम पुत्र मानाजी, जाति कलबी, निवासी–मारोल, तहसील रेवदर, जिला सिरोही
3. श्री रामजीराम पुत्र मानाजी, जाति कलबी, निवासी–मारोल, तहसील रेवदर जिला सिरोही

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. श्रीमती भुरीदेवी पुत्री रामु, बेवा उकाजी, जाति कलबी, निवासी मारोल, तहसील रेवदर, जिला सिरोही
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेवदर, तहसील रेवदर, जिला सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री उमाराम रेबारी विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तीया विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 12/12/2022

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 84 / 2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2019 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। विधि अनुसार जहां हक हकूकों का प्रश्न अवधारित हो, वहां पर म्याद के तकनीकि बिन्दु को गौण रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत माना गया है। इस अनुसार अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा मारोल तहसील रेवदर के खसरा नंबर 651, 652, 654, 655, 657 कुल रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन अपीलाण्ट को दिए बिना ही अपीलाण्ट के आबाद मकान पर आए बिना ही उक्त नोटिस पर खीमाराम लिखकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत किए। उक्त तीनो सम्मन पर यह भी लिखा हुआ नहीं है कि खीमाराम का वल्दीयत व सकुनत क्या है? जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को विधिवत रूप से समन तामिल नहीं करवाये गये। केवल खीमाराम लिखा हुआ होने से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किए सम्मन को तामिली मानकर अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। उसके पश्चात रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को ही सुनकर अंतिम डिक्री जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तो भिजवाया गया, किन्तु अपीलांट को मौके पर उपस्थित होने बाबत कोई सूचना नहीं दी गई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.10.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

को मौके की रिपोर्ट तैयार की गई। जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को उक्त कृषि आराजी का बहुमूल्य व बेशकिमती कृषि आराजी दी गयी एवं अपीलाण्ट को खाल खाद व उबड खाबड भूमि देकर विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वह मौका रिपोर्ट अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जिसमें विभाजन के कानूनी बिन्दुओ को नजरअन्दाज किया गया है। तहसीलदार द्वारा न तो मौका निरीक्षण किया तथा न ही पक्षकारन् को मौके पर उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया। विधि विरूद्ध रूप से पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया कि एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा मारोल तहसील रेवदर के खसरा नंबर 651, 652, 654, 655, 657 कुल रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जैर अपील वादस्थ भूमि का मौके पर विभाजन हो चुका है तथा पक्षकार अपने अपने हिस्से मुजब काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने के पश्चात प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 16.08.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उसके पश्चात दिनांक 16.08.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। एवं उक्त डिक्री की पालना में तहसीलदार रेवदर से वादग्रस्त आराजी के संबध में विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। जिसकी पालना में तहसीलदार रेवदर द्वारा अपने क्रमांक / राजस्व / 2018 / 674 दिनांक 09.08.2018 द्वारा सहायक कलेक्टर रेवदर के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2019 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। जैर अपील वादस्थ भूमि का मौके पर विभाजन हो चुका है तथा पक्षकार अपने अपने हिस्से मुजब काबिज काश्त है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया, किन्तु उन्होने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की। इनकी लापरवाही का खामियाजा रेस्पोडेन्ट क्यों भुगतेंगे। अपीलाण्ट की अपील में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे जैर अपील आदेश को बदला जावे। सभी पक्षकारों को राजस्व रेकर्ड में पृथक पृथक खातेदार दर्ज किया जा चुका है। अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक तथा अंतिम डिक्री की समेकित रूप से अपील प्रस्तुत की है, उस स्थिति में प्राथमिक डिक्री के तथ्यों को अंतिम डिक्री की अपील में नहीं उठाया जा सकता है। चूंकि प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री दोनो ही पृथक पृथक आदेश है, जिसकी समग्र रूप से एक ही अपील पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।:—
आर0बी0जे0(21) 2014 42

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा मारोल तहसील रेवदर के खसरा नंबर 651, 652, 654, 655, 657 कुल रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्रकरण में अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.07.2018 एवं फाईनल डिक्र 10.12.2015 के विरूद्ध संयुक्त रूप से यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण में प्राथमिक रूप से यह विधिक बिन्दु प्रकट होता है कि क्या प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री के विरूद्ध एक ही अपील पोषणीय है अथवा नहीं? इस सम्बंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 97 में यह प्रावधान है कि "Where any party aggrieved by a preliminary decree passed after the commencement of this Code does not appeal from such decree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final decree." प्रकरण हाजा में अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री की शुद्धता को भी प्रश्नगत किया है, किन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 97 के प्रावधान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

इसकी इजाजत नहीं देता है। इस हेतु अपीलाण्ट का यह दायित्व था कि वे दोनो ही निर्णय एवं डिक्रियों की पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्ति हेतु प्रयास करते, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसा नहीं किया जाकर पृथक पृथक डिक्रियों के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत की है, जो पोषणीय नहीं है।

लिहाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली